नम्बर व तारीख अहकाम तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पिता श्री प्रभु जी की जमीन वाके ग्राम कोलीपुरा पटवार हल्का बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिसका खसरा नं0 108 रकबा 0.56 है0 और खसरा नं0 44 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 की कुल रकबा 0.60 है0 स्थित है। इस जमीन में प्रार्थीया का 4/49 अविभाजित हक–हिस्सा निहित चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीया के पिता श्री प्रभु जी के खाते में दर्ज थी उनका देहांत प्रार्थीया के बचपन के समय में ही आज से लगभग 22 साल पूर्व हो गया था। पिता के देहांत के पश्चात बतौर उत्तराधिकारी प्रार्थीया का नाम, प्रार्थीया सहित प्रार्थीया की माता भंवरी का नाम भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिस समय नाम दर्ज कराया गया उस समय प्रार्थीया का नाम अनिता के रूप में दर्ज करवाया गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को उस समय नहीं थी। बाद में प्रार्थीया की उम्र बढती गई एवं तत्पश्चात अन्य सरकारी कागजात में प्रार्थीया का नाम अनिता के स्थान पर प्रियंका मीणा जो कि बचपन में भी था, प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड में प्रियंका मीणा ही दर्ज करवाया गया। कालांतर में प्रार्थीया का विवाह मुकेश मीणा के साथ सम्पन्न हुआ एवं उनके साथ विवाह के समय व बाद में भी प्रार्थीया का नाम प्रियंका मीणा ही दस्तावेजों में दर्ज करवाया गया। परंतु प्रार्थीया के बचपन के समय तथा पिता के देहांत के तुरंत पश्चात जो इंतकाल खोला गया उसमें प्रार्थीया का नाम प्रियंका मीणा के स्थान पर अनिता दर्ज किया जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर चला आ रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया के खाते की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 0.56 है0 ओर खसरा नं0 44 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 की कुल रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम कोलीपुरा, भू0 अ0 नि0 रानपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में वाके ग्राम कोलीपुरा, भू0अ0नि0 रानपुर तह0 लाडपुरा जिला कोटा का नाम अनिता के स्थान पर प्रियंका मीणा दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रदान की जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि मुताबिक ग्रामवासियान अनिता पुत्री प्रभु जाति मीणा का नाम ही प्रियंका है। आम बोलचाल में प्रार्थिया को अनिता नाम से बोला जाता है परंतु आधार कार्ड बनते समय सभी दस्तावेजों में प्रियंका नाम लिखा दिया गया, होना बताया गया। मुताबिक ग्राम वासियान अनिता व प्रियंका प्रभु जी की बेटी है जो एंक ही व्यक्ति है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया अनिता पुत्री प्रभु एवं प्रियंका पुत्री प्रभु एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कोलीपुरा पटवार हल्का बोराबास में स्थित आराजी खाता संख्या नया 5 के खसरा नं0 108 की रकबा 0.56	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	हे0, खसरा नं0 44 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अनिता पुत्री प्रभु के स्थान पर अनिता उर्फ प्रियंका पुत्री प्रभु दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनांक 11/2/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा	